

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 60

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		(करोड़ रुपए)								
राजस्व		229.14	1034.17	1263.31	139.44	1142.40	1281.84	254.03	1075.00	1329.03
पूँजी		250.86	...	250.86	110.56	...	110.56	273.97	...	273.97
जोड़		480.00	1034.17	1514.17	250.00	1142.40	1392.40	528.00	1075.00	1603.00
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	1.70	15.57	17.27	1.43	16.01	17.44	1.70	17.36	19.06
सूचना और प्रचार										
2. फिल्में	2220	9.20	37.21	46.41	5.59	39.42	45.01	12.94	40.15	53.09
3. चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणन	2205	1.94	2.25	4.19	1.05	2.30	3.35	1.75	2.41	4.16
4. जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण	2220	1.22	4.61	5.83	0.42	4.28	4.70	0.67	4.47	5.14
5. विज्ञापन और दृश्य प्रचार	2220	11.85	57.75	69.60	9.35	54.71	64.06	2.78	58.89	61.67
6. प्रेस सूचना सेवा	2220	0.55	20.42	20.97	0.40	21.01	21.41	0.69	21.97	22.66
7. क्षेत्रीय प्रचार	2220	0.40	20.88	21.28	0.05	22.27	22.32	0.20	23.12	23.32
8. संगीत और नाटक प्रभाग	2220	2.40	13.85	16.25	1.34	14.27	15.61	7.46	13.92	21.38
9. प्रकाशन	2220	0.66	31.43	32.09	0.19	34.17	34.36	0.46	35.28	35.74
10. पी.टी.आई को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2220	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
11. इमारतें और मशीनरी	4220	25.23	...	25.23	9.89	...	9.89	40.17	...	40.17
12. केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं	2220	2.00	4.06	6.06	1.00	4.86	5.86	10.00	5.10	15.10
13. अन्य व्यय	2220	0.40	4.83	5.23	0.11	4.71	4.82	0.70	4.98	5.68
14. प्रसार भारती को अनुदान सहायता	2221	153.97	821.29	975.26	75.64	924.37	1000.01	162.26	847.35	1009.61
15. प्रसार भारती को ऋण	6221	169.50	...	169.50	90.91	...	90.91	174.97	...	174.97
16. उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के विकास की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	42.85	...	42.85	42.87	...	42.87	52.42	...	52.42
	4552	56.13	...	56.13	9.76	...	9.76	58.83	...	58.83
	जोड़	98.98	...	98.98	52.63	...	52.63	111.25	...	111.25
कुल जोड़		480.00	1034.17	1514.17	250.00	1142.40	1392.40	528.00	1075.00	1603.00
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
	शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
15.01 प्रसार भारती	22221	169.50	475.00	644.50	90.91	378.66	469.57	174.97	592.00	766.97
जोड़		169.50	475.00	644.50	90.91	378.66	469.57	174.97	592.00	766.97
ग. आयोजना परिव्यय										
1. सूचना और प्रचार	22220	57.55	...	57.55	30.82	...	30.82	79.52	...	79.52
2. प्रसारण	22221	323.47	475.00	798.47	166.55	378.66	545.21	337.23	592.00	929.23
3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	98.98	...	98.98	52.63	...	52.63	111.25	...	111.25
जोड़		480.00	475.00	955.00	250.00	378.66	628.66	528.00	592.00	1120.00

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है जिसमें प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास शामिल है।

सूचना तथा प्रचार:

2. **फिल्में:** इस शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए व्यवस्था की गई है, अर्थात्, (क) फिल्म प्रभाग, जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों को देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समाचार दर्शनों, लघु वृत्तचित्रों और वृत्तचित्रों के माध्यम से जानकारी देता है; (ख) फिल्म महोत्सव निदेशालय का स्थापना व्यय; (ग) फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (घ) फिल्म महोत्सवों में पेनोरमा आफ इंडियन फिल्म पर व्यय; (ङ) सिरिफोर्ट, नई दिल्ली में फिल्मोत्सव काम्पलेक्स का निर्माण और अनुरक्षण; (च) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो राष्ट्रीय और विदेशी सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों को सुरक्षित रखता है; (छ) भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान जो बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण तथा वितरण करती है; (ज) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान को अनुदान जो फिल्म निर्माण की कला एवं तकनीक में प्रशिक्षण देता है, और (झ) सत्यजीत रे फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता।

3. **चलचित्रकला फिल्मों का प्रमाणन:** इसके अंतर्गत (i) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण पर व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. **जन संचार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण:** इस शीर्ष के अन्तर्गत इनके लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) भारतीय जन संचार संस्थान, जो एक स्वायत्त निकाय है और जो जनसंचार माध्यम में प्रशिक्षण तथा पत्रकारिता में पाठ्यक्रम आयोजित करता है, और (ख) अनुसंधान एवं संदर्भ प्रभाग, जो मंत्रालय और उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों और समाचार पत्रों तथा मीडिया एजेंसियों के लिए मीडिया रुचि के महत्वपूर्ण विषयों पर बुनियादी सूचना इकट्ठा करता है और उसका समन्वय करता है।

5. **विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार:** इसके अंतर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जो कि विज्ञापन तथा अन्य प्रकाशित सामग्री के जरिए और साथ ही रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों तथा अन्य बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार अभियानों का कार्यक्रम बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है।

6. **प्रेस सूचना सेवाएं:** इसके अंतर्गत इनके लिए व्यवस्था शामिल है: (क) प्रेस सूचना ब्यूरो जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक कड़ी के रूप में काम

सं. 60/सूचना और प्रसारण मंत्रालय

करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन सम्पर्क संबंधी आवश्यकताओं को देखता है, (ख) भारतीय प्रेस परिषद, को अनुदान, जो एक वैधानिक संगठन है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है, और (ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के माध्यम से गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय समाचार पूल डेस्क का संचालन करने के लिए व्यवस्था ।

7. **क्षेत्रीय प्रचार:** इसमें क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा उसके जिला स्तरीय क्षेत्रीय एककों के स्पर्च के लिए व्यवस्था की गई है जो कि फिल्म प्रदर्शनों, सीधे मीडिया प्रोग्रामों, फोटो प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विकास संबंधी संचार के क्षेत्र में कार्यरत है।

8. **संगीत तथा नाटक प्रभाग:** इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था संगीत तथा नाटक प्रभाग के लिए है जो देश भर में फैले हुए अपने एककों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यों के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जनसाधारण को अवगत कराने के लिए सजीव मनोरंजन के माध्यम का प्रयोग करता है ।

9. **प्रकाशन:** इसके अंतर्गत मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के स्पर्च के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विभिन्न किस्म के विषयों पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समूह्य पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री प्रकाशित करता है। प्रकाशन प्रभाग अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू में साप्ताहिक इम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार भी निकालता है।

10. **पी.टी.आई. को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता:** इसके अंतर्गत प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को इसके समाचार और अनुलिपि परियोजना के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता देने पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है ।

11. **भवन और मशीनरी:** इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) सूचना भवन, दिल्ली (ख) फिल्म

डिवीजन, मुम्बई के लिए चल चित्र वाले अभिलेखागार की स्थापना, (ग) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के लिए कार्यालय की इमारत, चरण-II (घ) फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा सिरिफोर्ट काम्पलेक्स, दिल्ली में परिवर्तन एवम् परिवर्धन (ङ) भारतीय जन संचार संस्थान की निर्माण एवं आवास परियोजना (च) नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र की स्थापना तथा फिल्म प्रभाग, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पत्र सूचना कार्यालय, डी.एफ.पी, एफ. टी. आई. आई. पुणे, सत्यजीत रे फिल्मस एंड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट, कोलकाता, फोटो प्रभाग, भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली और संगीत और नाटक प्रभाग के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत उपस्करों की अधिप्राप्ति।

12. **केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं :** यह प्रावधान विदेशी भाषाओं में प्रसारण, विदेशी प्रसारण संगठनों के समाचार तथा समाचार-आधारित कार्यक्रमों में लगी केन्द्रीय मानीटरिंग सेवा पर होने वाले व्यय के लिए है।

13. **अन्य खर्च:** इसके अन्तर्गत फोटो डिवीजन, भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के व्यय हेतु प्रावधान और संचार के विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा एशिया इंस्टीट्यूट आफ ब्राडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए अंशदान की व्यवस्था शामिल है ।

14 और 15. पहली अप्रैल, 2000 से प्रसार भारती को पूर्णतया स्वायत्त निकाय के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है।

प्रसार भारती को सहायता अनुदान - प्रसार भारती को अपने राजस्व व्यय हेतु संसाधनों में आए अन्तर को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

प्रसार भारती को ऋण: प्रसार भारती को अपने पूंजीगत खर्चों के वित्तपोषण के लिए यह ऋण प्रदान किया जा रहा है।

सिक्किम सहित उत्तर - पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु बनी परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था की गयी है ।